

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
30/12	आए फरीकन/बादा/उपस्थित पीठासीन अधीनकारी बाह्य पधारे हैं आयेन्दा पत्रावली 28.12.17 को पेश होवे। <i>[Signature]</i>
28/12	बकुलाय फरीकन उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधीनकारी बाह्य पधारे हैं आयेन्दा पत्रावली पत्रावली पेशावेस की शलना में दिनांक 24-4-17 को पेश हो <i>[Signature]</i>
10-5-1)	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ टोक अयाद में दिनांक 16/6/17 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
16/6/17	आ बयह पत्रावली कैम्प कोर्ट-8C में पेश हुई। बाही वलीम 34.1 हुताग/ पत्रावली को लिखी का मध्यम क्रियग/ लिखावेले आयेन्दा उपस्थित। को कोर्ट मध्यम ले लिखावेले लिखे में बाही वलीम व न.उ.लि. का लिखावेले एक लिखेले हो आयेन्दा डिडी लिख व लिखेले लिख मध्यम ले लिखावेले वलीम आयेन्दा पत्रावली कल कैम्प कोर्ट में लिखावेले व हुताग/ पत्रावली मध्यम ले लिखावेले का लिख मध्यम व लिख मध्यम को लिखे। लिख मध्यम को लिखे हुताग/ पत्रावली <i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड
(पीठासीन)
विशेष

संख्या
322/17
(19)
16
वादी
यति में आज
के लिए पेश
0.73
0.03
श्रीमान
-1-
का रप
म.का
28/12

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)....पुल....

वर्करी :- विष्णु प्रसाद मीना RMS

उनवान

संस्कृत भाषा

..बनाम सुभाष-ए-ए

संज्ञा आदि बर्नाम
 जाबत :- २२५५२१२ डक व स्याद रिज-सका ५१९ ००-०० RTA-1955

दमा नम्बर :- 192125-08-2015

गर्ज्य दिनांक:- 16-06-2017

वादी की ओर से 5/5

की व प्रतिवादी की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय

[illegible]

स्वर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।
यह आज तारीख 16-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(विष्णुपित्र ज्ञाना)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

बाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर के फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	